झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1066/2018 ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू राँची।

द्वारा :–आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– **जल संसाधन विभाग के अर्न्तगत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन ₹265.60 लाख (दो करोड़ पैसठ लाख साठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग के अर्न्तगत शीर्ष 4701 में भवनों का सम्पोषण, पुरानी भवनों की मरम्मति के अधीन मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन ₹265.60 लाख (दो करोड़ पैसठ लाख साठ हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(I) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर :–

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1.	मधुपुर अवस्थित सिंचाई कॉलोनी आवासीय परिसर के आवासों के विशेष मरम्मति का कार्य।	सिंचाई प्रमण्डल सं०–2, सिकटिया, मधुपुर	₹ 184.18

➢ **सिंचाई प्रमण्डल सं०–2, सिकटिया, मधुपुर** अर्न्तगत कराये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

i) सिंचाई कॉलोनी मधुपुर अवस्थित सरकारी आवासों की स्थिति काफी जीर्ण–शीर्ण है। जिसके जीर्णोद्धार का प्रावधान है। आवासों के छत के उपर 50 mm. C.C flooring (1:2:4) में ढालने का प्रावधान है। दो आवसो के छत को तोड़कर नया R.C.C. Roof Slab ढालने का प्रावधान है। दिवारों में पलास्टर करने, फर्श को तोड़कर vitrified tiles लगाने, आवास के अन्दर के दिवारों पर Plastic emulsion paint एवं बाहरी सतहों पर snowcem करने का प्रावधान है। सभी आवासों में Electrification एवं water supply का प्रावधान है।

(II) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर :–

क्र०	कार्य का नाम	प्रमंडल का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)
1.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के आवास के चाहरदिवारी, चौकीदार रूम, गैरेज निर्माण एवं रंग–रोगन इत्यादि कार्य।	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 49.90
2.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यालय में निर्मित निरीक्षण भवन को सुसज्जित करने का कार्य	जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर	₹ 31.52
	कुल :–		**₹ 81.42**

➢ **जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर** अर्न्तगत कराये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

i) मुख्य अभियंता, ज०स०वि०, मेदिनीनगर के आवास के चाहरदिवारी, चौकीदार रूम, गैरेज निर्माण एवं रंग रोगन इत्यादि कार्य का प्रावधान है।

ii) मुख्य अभियंता का कार्यालय में निर्मित निरीक्षण भवन को सुसज्जित करने, रंग–रोगन, फर्नीचर, पर्दा एवं एयर कंडिशन इत्यादि लगाने का प्रावधान है।

3 यह कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर वर्ष 2019–20 में पूर्ण कराया जाएगा।

4 उपरोक्त कार्यों पर होनेवाला व्यय :–

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–66–नये भवनों का निर्माण एवं पुराने भवनों का जीर्णोद्धार, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य (विपत्र कोड–49S470180789660545) के अंतर्गत भारित किया जायेगा।

5 सभी कार्य कंडिका (2) में अंकित प्रमण्डलों द्वारा कराया जायेगा। उक्त प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंता इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा संबंधित मुख्य अभियंता इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस कार्य के लिए वर्ष 2018–19 के बजट में उपबंध है।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

11. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

12. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1066/2018 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1066/2018 ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

D:\Node-4\L.K\Sanlekha\Building\2018-19\Deo. Med. (265.60) - 14.09.18.doc

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1066/2018 37/18-19 पु०स्वी० /राँची, दिनांक 19.11.2018

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मेदिनीनगर/संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/XI/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभि०)

19/11/18